

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 13 / 14-1 DM दिनांक : आगरा : 01-7- जून, 2017

सेवा 1

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

विषय :- आगरा में अबन्ती बाई चौराहा से रोहता नहर तक (आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग) का छः लेन चौड़ीकरण में 2.45 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 317 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 5371/14-1 दिनांक 20.06.2017

महोदय।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है जिसका बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार है :-

1. पेज संख्या-9 पर निर्धारित प्रारूप में मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र संलग्न है।
2. पेज संख्या-17, 18 एवं 19 पर मुहर लगा दी गयी है।
3. पेज संख्या-20 पर जिलाधिकारी का नाम व मुहर लगा दी गयी है।
4. पेज संख्या-23, 24 पर मुहर लगा दी गयी है।
5. पेज संख्या-42, 45 व 46 पर मुहर लगा दी गयी है।

अतः संशोधन प्रस्ताव चार प्रतियों में संलग्न कर आपकी सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय

(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 13

दिनांकित

प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि० आगरा को सूचितार्थ

(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।